

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 1978/पौष 6, 1900
No. 247] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1978/PAUSA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण
सार्वजनिक संस्था-80-ईटीसी (पीएन)/78

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1978

विषय :—अक्टूबर 78—मार्च 1979 अवधि के लिए मार की पुँछ के पंखों के निर्यात
के लिए निर्यात नीति।

[मिसिल संख्या-25/21/78/ई-2].—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना
संख्या-7. ई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित अप्रैल, 1978—
मार्च 1979 वर्ष के लिए निर्यात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निर्यात नीति पुस्तक 1978-79 के पृष्ठ 11 पर क्रम संख्या-4 (सी) (2) के सामने कालम-3 में प्रदर्शित विद्यमान प्रवीण निम्नीलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी :—

“केवल मोर के दम के पंखों और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर निर्यातकों की निम्नीलिखित श्रेणियों को दी जाएगी :—

(1) मोर की दम के पंखों के संस्थापित निर्यातकों को, मूल अवधि में से उन के द्वारा चुने गए अपने सब से उत्तम वर्ष के निर्यातों के यथा अनुपात के आधार पर ;

(2) राज्य वन निगमों और अन्य राज्य अभिकरणों को ;

(3) उन निर्मित वस्तुओं के निर्यातकों का जिनमें मोर की दम के पंखों का उपयोग किया गया है। उन्हें केवल मोर की दम के पंखों को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शिखा के पंखों और मोर के किसी अन्य अंग या भाग के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानूनी अधिप्राप्ति के किसी भी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।”

वी. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION
(Department of Commerce)
EXPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 80-ETC(PN)/78
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 1978

Subject : Export Policy for export of peacock tail feathers for the period October, 1978—March 1979.

{File No. 25/21/78-E. II}.—Attention is invited to Export Policy for the year April 1978—March 1979 published in the Department of Commerce Public Notice No. 17-ETC(PN)/78 dated 3-4-1978.

2. The existing entry appearing in column 3 against S. No. 4(c)(ii) at page 11 of Export Policy Book, 1978-79 shall be amended to read as under :—

“Export of only Tail Feathers of Peacock and articles made therefrom will be allowed within a limited ceiling to the following categories of exporters :—

- (i) Established exporters of peacock tail feathers on prorata basis of their best year's exports selected by them out of the basic period.
- (ii) State Forest Corporations and other State Agencies.
- (iii) Exporters of manufactured articles in which peacock tail feathers have been used. They will not be allowed to export Peacock Tail Feathers alone.

Crest feathers and any other part or portion of peacock's will not be allowed for export. No certificate of legal procurement will be necessary”.

V. C. PANDE, Jt. Secy.